

5/24/2023

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

CE(P)/AAO

2/9/23

प्रमुख अभियन्ता
लो.नि.वि.

2857

ई० फाईल संख्या-42293

SSOC P-II

CE (P)

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 2 सितम्बर, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट विभिन्न 09 मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता लो.नि.वि., अल्मोड़ा द्वारा निम्न तालिका में वर्णित कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनके अन्तर्गत सड़क मार्गों की कुल लम्बाई 28.35 किमी० एवं लागत ₹310.02 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि ₹ 40.73 लाख (₹ चालीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् 09 कार्य हेतु कुल ₹ 0.90 लाख (₹ नब्बे हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹० में)

क्रसं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी० में)	शासन द्वारा अनु० लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में पीपना मन्हेता डंगूला मोटर मार्ग के किमी० 15 से टुकनोली होते हुए वितडी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.25	4.88	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में पैसिया पीपना मोटर मार्ग से ग्राम झीपा के तोक फयाटनौला तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.800	2.70	0.10
3	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में सराईखेत से जोगीमझी मोटर मार्ग के मध्य गैरखाल से पुनियार बाखली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	1.500	2.25	0.10
4	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मानिला सदर बाजार से गुसाई नैल तक मोटर मार्ग का सुधारीकरण/पुनः	2.00	1.20	0.10

अ.प्र. 28.9.23
सितम्बर 28/9/23

2023

	निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)			
5	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में राज्य मार्ग संख्या-52 के किमी0 111 से खदेरागाँव तक मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	7.50	0.10
6	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में उपराड़ी से केलानी जौरासी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	8.00	12.00	0.10
7	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मरचूला स्याल्दे देघाट मोटर मार्ग (मार्ग का नया नाम थलीसैण-बेंगीधार-मानिला- डोटियाल-मरचूला मार्ग संख्या -52) के स्थान झिमार से ग्राम तल्ला झिमार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.00	3.00	0.10
8	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मुख्य मार्ग से पंतबाखली (घुघुती) तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.50	3.75	0.10
9	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत सिराऊ अमेता मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	2.300	3.45	0.10
	योग-	28.35	40.73	0.90

(रु0 नब्बे हजार मात्र)

2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों के अधीन रहेगी:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या-1764/III(2)/10-17(सामान्य) /2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।

2023

- v. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- vi. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- vii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- viii. उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एनपी.वी, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाशक्य व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।
- ix. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- x. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31.03.2024 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xi. यदि स्वीकृत किया जा रहा कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- xii. उक्त कार्य हेतु लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190 (PWD)01 टीसी-11 दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337सड़क निर्माण कार्य-03राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामें डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित संख्या-I/150920/2023, दिनांक 01 सितम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 02-09-2023 14:50:25

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाउ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, अल्मोडा।

संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/151274/2023
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23090220014
 आवंटन पत्र दिनांक-11-SEP-2023

लेखा शीर्षक

5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़के

03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम						पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग			
53-वृहद निर्माण						4860000	90000	0	4950000			
योग						4860000	90000	0	4950000			

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.90,000 (Rupees Ninety Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: eicpwduk@nic.in

Web-<http://govt.ua.nic.in/pwd>

पत्रांक-1092 / 20 याता0'क' / 2023

दिनांक-26 .09.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
- अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।
- अधिशाली अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
 18/9/2023